

न्यायालय सहस्रीनकार कठुमर (अलवर) राज.

सरकार जारिये रिपोर्ट पटवारी हल्का तमई वनाम 1/21/1918

प्रकरण अन्तर्गत धारा 81 अन्तर्गत पत्र

निर्णय दिनांक :- 22/1/19

प्रकरण संख्या - RA/87

प्रभावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि धाम सुहाकोली
की आ.ख.नं. 1540 कुल रकबा 2.34 किलोमीटर जमीन गोला में से 0.01
रकबा पर भी 2.34 गोला पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर
कठुमर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का तमई द्वारा दिनांक 20/1/18

को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय तारिख
पू.अ.निरी. तमई के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया
जाकर अतिक्रमी गोला जाति गोला निवासी सुहाकोली मू.
राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 81 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील
कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी

उपस्थित आया। जकाब नोटिस देश किया जो शामिल पत्रावली है।
उक्त रकबा आ.ख.नं. 1540 रकबा 2.34 में से 0.01
रकबा किलोमीटर गोला से जो नियम के योग्य नहीं है सुहाकोली को अतिक्रमित
रकबा से वेदखत किया जाने का आदेश दिया जाने है एवं उक्त स्वरूप जमान 8 पैसे का
60 गुणा 4 रुपये सैनवटी आरोपित की जाती है मांगा कायमी हेतु टीआरए को लिखा
जावे, सैनवटी वसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी तमई पू.अ.निरी. कठुमर
को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

सहस्रीनकार
कठुमर, अलवर (राज.)

प. न. स. 4 के 18 व 3 व 2
सं. 2018-19 ग. न. व. 41

अतिक्रमी - कठुमर

(Signature)
सहस्रीनकार
कठुमर